राजस्थान सरकार

श्री हरिदेव जोशी

मुख्य मंत्री

का

बजट भाषण

1987-88

गुरुवार, 5 मार्च, 1987

श्रीमन्

आपकी अनुमति से, मैं वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. बजट जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार की नीतियों और प्रयासों का दस्तावेज होता है। यह केवल आय-व्ययक का लेखा जोखा ही नहीं है अपितु जनहित के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन का प्रस्तुतीकरण है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है यह सरकार राजस्थान के चहुंमुखी आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये कृतसंकल्प है। हमारे यहां उन्नत एवं प्रचुर मानवीय एवं भौतिक आधारभूत साधन किसी न किसी रूप में सदा विद्यमान रहे हैं। यहां का जन सामान्य मेहनती और निष्ठावान है और राज्य में भौतिक संसाधन भी बहुतायत से उपलब्ध हैं। आवश्यकता उनके समुचित उपयोजन एवं समन्वय की है। हमारा यह प्रयास है कि इनका समुचित विकास एवं उपयोग किया जाय ताकि हम पिछड़ेपन से मुक्त होकर देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में यथाशीघ्र आ सकें। हमारा यह भी प्रयत्न है कि विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्ग इस समृद्धि में भागीदार बने और राज्य के सभी क्षेत्रों की सन्तुलित प्रगति हो। हमारे विकास कार्यक्रम इन्हीं मूलभूत नीतियों पर आधारित हैं।

3. माननीय सदस्यों को राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा पृथक से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें वर्ष 1986-87 में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. राज्य की समग्र आर्थिक स्थिति का परिचय राज्य आय के अनुमानों से मिलता है। माननीय सदस्यों को यह जानकर संतोष होगा कि प्रचलित कीमतों पर राज्य के घरेलू उत्पाद के वर्ष 1985-86 के अनुमान, पूर्व वर्ष 1984-85 की तुलना में 5.36 प्रतिशत अधिक हैं। इसी वर्ष की प्रति व्यक्ति आय में भी, प्रचलित कीमतों पर 2.66 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है, जो वर्ष 1984-85 के रुपये 1990 से बढ़कर रुपये 2043 हो गई है। वर्ष 1970-71 के आधार वर्ष की स्थिर कीमतों पर भी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों में वृद्धि हुई है।

5. औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी, अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। राज्य में उत्पादित प्रमुख 27 वस्तुओं में से, आलोच्य वर्ष में 14 वस्तुओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक वर्ष 1986 में, पूर्व वर्ष के सूचकांक 171.39 से बढ़कर 195.05 हो गया है।

6. राज्य में कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर है। उसके अपर्याप्त होने से तथा समय पर न होने से कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राज्य सरकार द्वारा सघन अभियान चलाकर, कृषि आदानों को खरीफ एवं रबी फसलों हेतु समय पर किसानों को उपलब्ध कराने के विशेष प्रयास किए गए। खरीफ मौसम में विषम स्थिति का सामना करते हुए किसानों को रबी मौसम में आवश्यक आदान एवं बिजली आदि सुलभ करा दिये जाएं ऐसे प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप अनेक कठिनाईयों के उपरान्त भी रबी तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है। पूर्व वर्ष के 7 लाख टन के उत्पादन से बढ़कर, इस वर्ष 7.92 लाख टन हो जाने की आशा है। खरीफ दलहनों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिसके वर्ष 1985-86 में 0.99 लाख टन से बढ़कर, इस वर्ष 1.66 लाख टन हो जाने की सम्भावना है।

7. विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में मूल्य स्थिति अपेक्षाकृत नियंत्रित रही है। राज्य थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 1986 में केवल 2.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूर्व वर्ष 1985 में वृद्धि की यह दर 8.61 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय स्तर पर थोक मूल्य सूचकांक चालू वर्ष में 5.24 प्रतिशत बढ़ा है।

8. वर्ष 1985-86 में बीस सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान देश में प्रथम रहा है जो हर्ष और गर्व का विषय है। हमें आशा है कि इस वर्ष भी बीस सूत्री कार्यक्रम में सभी सूत्रों के लक्ष्य प्राप्त कर पुनः हम अग्रणी रहेंगे। जनवरी 1987 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, सरप्लस भूमि का आवंटन, अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को सहायता, आवासी भूखण्ड आवंटन, वृक्षारोपण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, आई.सी. डी.एस. खण्ड, उचित मूल्यों की दुकान तथा लघु उद्योगों की स्थापना कार्यक्रम के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बन्धक श्रमिकों का पुनर्वास, समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल, आवास सहायता, गन्दी बस्ती सुधार, कमजोर वर्ग को आवास, गांवों का विद्युतीकरण, पम्पसेटों/कुओं का ऊर्जीकरण एवं बायोगैस के जनवरी, 1987 तक के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं और पूरे वर्ष के लक्ष्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किये जाने की सम्भावना है। शेष सूत्रों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भी प्रयास जारी हैं।

9. पानी राजस्थान के लिये सबसे मूल्यवान संसाधन है। इस क्षेत्र में इस वर्ष एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई है। राष्ट्र की सबसे बड़ी और 28 वर्षों से चली आ रही इन्दिरा गान्धी नहर परियोजना की मुख्य नहर इस वर्ष पूरी की गई। 1 जनवरी, 1987 को मुख्य नहर के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाया गया। हिमालय की गगनचुम्बी बर्फीली चट्टानों से सैंकड़ों मील दूर प्यासे और तपते

हुए रेगिस्तान में जीवनदायी जल का पहुंचाना एक भागीरथ प्रयास की सुखद परिणति है । इस वर्ष 56,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होना अनुमानित है जो इन्दिरा गान्धी नहर व अन्य 5 वृहद्, 2 बहुद्देशीय, 13 मध्यम एवं 3 आधुनिकीकृत सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सम्भव हुआ है ।

10. राज्य में पेयजल की कमी एक विषम समस्या है । इसके समाधान हेतु प्रयास जारी है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ तक 34,386 गांवों में से 22,262 गांवों को किसी न किसी योजना के तहत पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था । शेष गांव जो अधिक समस्याग्रस्त रहे हैं उनमें से सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों में 3600 गांवों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके विरुद्ध 31 मार्च, 1987 तक लक्ष्य से अधिक उपलब्धि की आशा है । शहरी क्षेत्रों में भी, पेयजल व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है । वहां यथा निर्धारित सुदृढ़ीकरण एवं वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं ।

11. माननीय सदस्य जानते हैं कि विद्युत् आर्थिक विकास का मूलभूत आधार है । मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि वर्ष 1985-86 की तुलना में इस वर्ष में विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धि अधिक हुई है । वर्ष 1985-86 में विद्युत् ऊर्जा की उपलब्धि करीब 6896 मिलियन यूनिट रही है जबकि इस वर्ष के अन्त तक 7344 मिलियन यूनिट रहेगी । वर्तमान में विद्युत् की उपलब्धि करीब 200 से 220 लाख यूनिट प्रतिदिन है । यद्यपि यह मांग की तुलना में कम है फिर भी हमारा यह प्रयास रहा है कि किसानों एवं उद्योगों को यथासम्भव अधिकाधिक बिजली दी जाय । मार्च 1986 के अन्त तक राज्य के समस्त गांवों में से 21433 गांवों को विद्युतीकृत एवं 283824 कुओं को ऊर्जीकृत किया जा चुका है । वर्ष 1986-87 में 1000 गांवों के विद्युतीकरण व 10,000 कुओं के ऊर्जीकरण का कार्यक्रम हाथ में लिया हुआ है ।

12. शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं । प्रथम तो यह कि दस जमा दो प्रणाली राज्य में शुरू करदी गई है । राजस्थान देश के उन कुछ राज्यों में था जहां यह प्रणाली पहले लागू नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी राज्य में लागू करदी गई है। इस वर्ष 500 प्राथमिक विद्यालय तथा 200 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये एवं 50 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। 5 जिलों में 5 नवोदय विद्यालय भी खोले गये व 13,380 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्वीकृत हुए जिनसे करीब 4 लाख व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान की गई है ।

13. वर्ष 1986-87 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 50 ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया गया एवं 50 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये । ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 30 शैयाओं वाले 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित किये गये एवं 500 नये उप केन्द्र खोले गये । परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3 लाख नसबन्दी एवं 1,20,000 लूप निवेश के लक्ष्य रखे गये हैं जिन्हें प्राप्त करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं । नसबन्दी को जन आन्दोलन बनाने के लिए इस वर्ष विशेष इनामी योजना प्रारम्भ की गई है । इस वर्ष में 10 प्रसवोत्तर केन्द्रों की स्थापना भी की गई है । जयपुर में महिला रोगियों को अधिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक नये महिला चिकित्सालय ने 1-3-1987 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

14. आलोच्य वर्ष में अनेक उपलब्धियां हुई हैं। उदाहरण के रूप में कुछ का संक्षिप्त विवरण ही मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इनका महत्व और भी बढ़ जाता है यदि इन्हें हमारी कठिनाईयों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय । इस वर्ष अकाल की स्थिति गत वर्ष से भी अधिक

तीव्र और व्यापक रही है। राज्य के सभी जिलों की 194 तहसीलों के 31,922 गांव आज भी सूखे की गंभीर स्थिति से प्रभावित हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक ओर सूखा राहत कार्यों पर अप्रेल-जुलाई, 1986 की अवधि में राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा निश्चित व्यय सीमा से अधिक व्यय करना पड़ा, दूसरी ओर अभाव की स्थिति के कारण वित्तीय वर्ष में सरकारी राजस्व में भी गिरावट आई। राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारण राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति तथा उन्हें बोनस देने का निर्णय था इससे राज्य कोष पर 92 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार पड़ा।

15. उपर्युक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप 1987-88 की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिये योजना आयोग द्वारा आंकलित राज्य के संसाधनों में बहुत कमी हो गई जिसका योजना के आकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना अपरिहार्य सा था। किन्तु इस बारे में मेरा स्पष्ट मत यह था कि योजना के आकार में किसी भी प्रकार की कमी करके विकास की गति को मन्द नहीं होने देना है, अतः जनवरी, 1987 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई मीटिंग में मैंने अनुरोध किया कि इस वर्ष की तुलना में आगामी वर्ष की योजना के आकार में समुचित वृद्धि की जाय। योजना आयोग ने हमारी यह बात स्वीकार की। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है 1987–88 की वार्षिक योजना का आकार 645 करोड़ रु. का रखा गया है जो चालू वर्ष की 525 करोड़ रु. की मूल योजना के आकार से 120 करोड़ रु. अर्थात् 23 प्रतिशत अधिक है। यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि जहां छठी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में अर्थात् 1980–81 से 1984–85 में केवल 97 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी, वहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों में ही 215 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है।

वार्षिक योजना 1987–88 :

16. राज्य की 1987–88 की वार्षिक योजना का आकार 645 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है, जिसका मदवार आवंटन निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मद	राशि	प्रतिशत
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम	29.13	4.52
2.	ग्रामीण विकास	33.21	5.15
3.	सहकारिता	8.50	1.32
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	144.70	22.43
5.	विद्युत्	215.80	33.46
6.	उद्योग एवं खनिज	31.58	4.90
7.	परिवहन एवं संचार	25.25	3.91
8.	प्रोद्योगिक एवं अनुसंधान	0.76	0.12
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	142.90	22.15
10.	आर्थिक सेवायें	1.14	0.18
11.	अन्य सेवायें	4.34	0.67
12.	आठवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	7.69	1.19

17. सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई प्राथमिकताओं के अनुरूप ही वार्षिक योजना 1987–88 में विद्युत् मद को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस मद में 215.80 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है, जो कुल प्रावधान का 33.46 प्रतिशत है। द्वितीय प्राथमिकता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण को दी गई है जो कुल प्रावधान का 22.43 प्रतिशत है।

18. योजना आकार में सीमावर्ती एवं सामरिक महत्व की सड़कों पर होने वाला व्यय 7.32 करोड़ रुपये, राज्य कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण अग्रिम पर संभावित अधिक व्यय 3 करोड़ रुपये तथा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूंजीगत कार्यों के लिये 5.73 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिक व्यय, सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की सहायता हेतु भी 11.32 करोड़ रुपये की व्ययसीमा की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनको सम्मिलित करने के पश्चात् कुल योजना का आकार 672.37 करोड़ रुपये हो जायेगा।

19. उक्त योजना व्यय के वित्त पोषण हेतु 274.03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। शेष 398.34 करोड़ रुपये मुख्यत: राज्य के संसाधनों से उपलब्ध कराने होंगे। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के 1,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों के लक्ष्य के विरुद्ध योजना काल के प्रथम 2 वर्षों में किये गये उपायों के परिणामस्वरूप योजना अवधि में 722.79 करोड़ रुपये की सीमा तक की शुद्ध अतिरिक्त आय हो सकेगी। अभी तीन वर्ष (1987-90) की अवधि शेष है और हम आशान्वित हैं कि आप के सहयोग से ये लक्ष्य प्राप्त कर लिये जावेंगे।

मुख्य उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम :

20. वर्ष 1986-87 की कुछ प्रमुख क्षेत्रों की उपलब्धियों के बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। अब मैं कुछ अन्य क्षेत्रों की उपलब्धियों एवं वर्ष 1987–88 के कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगा :—

विद्युत :

21. राज्य की वार्षिक योजना 1987–88 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र में 215.80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि कुल प्रावधान का 33.46 प्रतिशत है। इस वर्ष कोटा तापीय परियोजना द्वितीय चरण और माही परियोजना का पावर हाउस नं. 2 का कार्य प्रगति पर है। इन दोनों परियोजनाओं की 1989-90 में पूर्ण होने की संभावनायें हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर कोटा तापीय परियोजना के द्वितीय चरण की प्रथम इकाई को वर्ष 1988–89 में ही पूरा कर लिया जाय। अनूपगढ़ लघु बिजली परियोजना के प्रथम विद्युत गृह से 1986–87 के अन्त तक विद्युत उत्पादन होने की आशा है तथा इसके द्वितीय विद्युत गृह का कार्य वर्ष 1987-88 की प्रथम तिमाही में पूर्ण होने की संभावना है। पलाना ताप विद्युत गृह को 120 मेगावाट की क्षमता के लिये योजना आयोग ने माह अगस्त, 1986 में विनियोजन स्वीकृति प्रदान करदी है। वर्ष 1987–88 में ग्रामीण विद्युतीकरण पर 20 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिससे 1,000 गांवों के व 10,000 कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

22. ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों के विकास को केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों ही महत्व देती हैं। इसका विकास तीव्र गति से करने के लिये राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) की स्थापना की गई थी। वर्ष 1987–88 में रेडा कार्यक्रम के अन्तर्गत 5400 सोलर कुकरों की सहायता प्रदान की जावेगी। राज्य के विभिन्न स्थानों पर 50 पवन चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं तथा इस वर्ष केन्द्र सरकार की सहायता से 25 पवन चक्कियां लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

23. राज्य सरकार ने नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अन्ता में गैस पर आधारित 430 मेगावाट की परियोजना की क्रियान्विति हेतु भूमि उपलब्ध करादी है। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा देश की स्थापित की जाने वाली ऐसी गैस पर आधारित परियोजनाओं में यह पहली योजना है जिस पर निर्माण कार्य शुरू कर

दिया गया है। भारत सरकार से इस योजना की क्षमता बढ़ाकर 600 मेगावाट करने के लिये वार्ता चल रही है। आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पूर्व ही इस योजना की क्रियान्विति हो जायेगी और इससे राजस्थान में विद्युत् की कमी के निवारण में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी।

24. राजस्थान अपने हिस्से की सिंगरोली सुपर थर्मल पावर स्टेशन से बिजली सन् 1982 से आगरा-भरतपुर 220 के. वी. लाइन से प्राप्त कर रहा था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष है कि पहली बार राजस्थान में एक 400 के. वी. का सब-स्टेशन जयपुर में दिसम्बर, 1986 में चालू कर दिया गया है जिससे कि राजस्थान सिंगरोली से बिजली 400 के. वी. कानपुर-आगरा-जयपुर लाइन से प्राप्त कर रहा है।

सिंचाई :

25. वर्ष 1987-88 में अनुमानतः 48,140 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। इसमें से 30,000 हेक्टेयर इन्दिरा गान्धी नहर क्षेत्र में, 7,000 हेक्टेयर माही बजाज सागर क्षेत्र में व 11,140 हेक्टेयर अन्य वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध होंगी।

26. इसके अतिरिक्त राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत एक महत्वाकांक्षी योजना हाथ में ली गई है जिसके अन्तर्गत सिंचाई के 50,000 कुओं को या तो गहरा करवाया जायेगा अथवा नये खोदे जावेंगे। योजनाओं, राहत कार्यक्रमों और कुओं के विद्युतीकरण के द्वारा वर्ष 1987-88 में एक लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने की आशा है।

27. वर्ष 1987-88 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मद के अन्तर्गत 144.70 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। इसमें से 58 करोड़ रुपये इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर व 20 करोड़ रुपये माही बजाज सागर परियोजना पर व्यय होंगे।

28. इन्दिरा गान्धी नहर योजना के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाने हेतु लगातार प्रयत्न चल रहे हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही भारत सरकार इसके लिये अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायेगी। इस सहायता के प्राप्त होने से योजना का आकार और भी अधिक बढ़ जायेगा।

29. योजना आयोग ने इस नहर के द्वितीय चरण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान करदी है जिसके अन्तर्गत 60 मीटर तक की लिफ्ट योजनाओं की तथा पेय एवं अन्य उपयोगों हेतु 1800 क्यूसेक पानी सुरक्षित करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।

कृषि :

30. वर्ष 1987-88 में कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रमों पर 29.13 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। 181.50 लाख हेक्टेयर में खरीफ व रबी की विभिन्न फसलों की बुवाई कर 102.05 लाख टन खाद्यान्न, 13.35 लाख टन तिलहन, 19.50 लाख टन गन्ना और 6.80 लाख कपास की गांठों के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है। अधिक उत्पादन देने वाली फसलों के अन्तर्गत 34.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायेगा जो चालू वर्ष की योजना के लक्ष्य से 4.30 लाख हेक्टेयर अधिक है।

31. सामान्य कार्यक्रम के अलावा वर्ष 1987-88 में बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन तकनीकी प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनाज, दलहन व तिलहनों की फसलों के प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे जिससे लगभग 2.50 लाख लघु, सीमान्त एवं अनुसूचित जाति व जन जाति के कृषक लाभान्वित होंगे।

32. शुष्क खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को उन्नत विधियां अपनाने हेतु प्रेरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा शुष्क खेती के प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे जिससे लगभग 14,000 कृषक लाभान्वित होंगे। इन खेतों पर अन्य किसानों को शुष्क खेती की तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जावेगा। वर्ष 1986–87 में केन्द्रीय सहायता से जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास का वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर क्रियान्वित कर 2 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रावधान है।

33. सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्षारीय व लवणीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम रखा गया था। वर्ष 1987–88 में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षारीय व लवणीय भूमि का सुधार किया जायेगा।

34. राज्य में फल विकास की अच्छी सम्भावनायें हैं। अतः वर्ष 1987–88 में लगभग 7500 हेक्टेयर में नये बगीचे लगाने का कार्यक्रम नाबार्ड के सहयोग से क्रियान्वित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में लगभग 1.50 लाख फलदार पौधे 6000 कमजोर वर्ग के किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे। साथ ही सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये 2000 किसानों को मिनीकिट वितरित किये जायेंगे। फल व सब्जी विकास कार्यक्रम को स्थायित्व देने के लिये प्रयोगात्मक अनुसंधान केन्द्र एवं समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य में पहला ग्राह्य अनुसंधान केन्द्र कोटा में स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त फल और सब्जियों के विकास के कार्यक्रम को विस्तार और वृद्धि देने हेतु विशेष तकनीकी एवं संगठनात्मक कदम उठाये जावेंगे।

सहकारिता :

35. सहकारी आन्दोलन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। राज्य में अब तक 99 प्रतिशत ग्राम तथा 87 प्रतिशत कृषक परिवार सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। सहकारिता मद के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1987-88 में 8.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। कृषि उत्पादन हेतु कृषकों को सहकारी वर्ष 1987-88 में 125 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 8 करोड़ रुपये के मध्यकालीन एवं 25 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण किये जाने की योजना है।

36. किसानों को कृषि उपज का उचित लाभ मिले इसलिये सहकारिता के क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में कोटा में 200 टन सोयाबीन से प्रतिदिन तेल निकालने का कारखाना लगाया जा रहा है। इस कारखाने की लागत लगभग 25 करोड़ रुपये होगी और इससे कोटा, बून्दी, झालावाड़, चित्तौड़ एवं बांसवाड़ा के लगभग 50,000 काश्तकार लाभान्वित होंगे जिन्हें उनकी सोयाबीन की पैदावार के फलस्वरूप करीब 27 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। कारखाने पर कार्य प्रारम्भ होने के साथ-साथ सोयाबीन की पैदावार का कार्य भी पहले ही चालू कर दिया गया है और कारखाने में वर्ष 1987-88 में उत्पादन प्रारम्भ होगा।

37. इसी प्रकार सरसों बोने वाले काश्तकारों को लाभान्वित करने हेतु गंगानगर, जालौर, नागौर, झुन्झुनूं एवं सवाई माधोपुर में 6 संयंत्र लगाये जा रहे हैं जिन पर 44 करोड़ रुपये की लागत आयेगी एवं 480 टन सरसों का तेल प्रतिदिन निकालने की क्षमता होगी। इससे एक लाख से अधिक काश्तकार लाभ उठायेंगे। इन सभी संयंत्रों को लगाने का कार्य वित्तीय वर्ष 1987-88 में प्रारम्भ हो जाएगा। जालौर में तो इसी वर्ष यह कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इन संयंत्रों को सरसों के साथ-साथ रायडा, तोरिया आदि को किसानों द्वारा जो सप्लाई की जायेगी उसके फलस्वरूप उनको प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

38. सहकारिता के क्षेत्र में गंगानगर में अत्यन्त आधुनिक तकनीक पर आधारित एक सूती मिल लगाने की भी योजना है। इस योजना पर भी वर्ष 1987-88 में कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। इस मिल की लागत 18 करोड़ रुपये होगी एवं इसमें लगने वाली मशीनरी अत्यन्त उन्नत और आधुनिक होने के कारण बाहर से आयात करनी होगी इससे लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलेगा।

39. इस प्रकार करीब 90 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में होगा जिससे 1.5 लाख कृषक लाभान्वित होंगे।

ग्रामीण विकास :

40. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करने एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने की दृष्टि से राज्य सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 82,000 नये परिवारों को जिनमें 29,000 अनुसूचित जाति के व 15,000 अनुसूचित जन जाति के हैं और 35,100 महिलायें हैं, लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु इस वर्ष 24.88 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। वर्ष 1987-88 में कार्यक्रम के अन्तर्गत 26.92 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 1.13 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

41. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यत: पेयजल कूप, शाला भवन, औषधालय भवन, ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण कार्य लिये जाते हैं। वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 27.56 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान है। वर्ष 1987-88 में इस योजना के अन्तर्गत 77.70 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

42. वर्ष 1987-88 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 18.64 करोड़ रुपये का व्यय तथा 84.7 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया जाना प्रस्तावित है।

43. ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में प्रयुक्त बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 5,000 बायोगस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1986 तक राज्य के विभिन्न जिलों में 2268 बायोगैस संयंत्र स्थापित कराये जा चुके हैं तथा 1301 संयंत्र पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 7500 बायोगैस संयंत्र लगाये जायेंगे।

44. निर्धूम चूल्हा योजना के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में 3,62,000 से अधिक निर्धूम चूल्हे लगाकर राजस्थान दोनों वर्षों में सारे देश में प्रथम रहा है। वर्ष 1986-87 में निर्धूम चूल्हों के निर्माण हेतु केन्द्र ने राज्य को 45,000 चूल्हों का प्रारम्भिक लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके विरुद्ध राज्य में अभी तक 41,633 चूल्हों का निर्माण हो चुका है और इस वर्ष के अन्त तक राज्य में 62,000 चूल्हों के निर्माण हो जाने की संभावना है।

पंचायती राज :

45. पंचायती राज संस्थाओं में राज्य सरकार की विशेष आस्था है। यही कारण है कि पिछले अकाल राहत कार्यों में करीब 12,500 कार्य पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सम्पन्न कराये गये। इस अकाल के दौरान चले राहत कार्यों में भी ऐसा ही प्रयास किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में इस प्रकार की आस्था रखने एवं उन्हें इतने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देने में राजस्थान देश

के अग्रणी राज्यों में से है। केवल राहत कार्यों में ही नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम इत्यादि योजनाओं की क्रियान्विति में भी इन्हीं संस्थाओं की अधिकाधिक भागीदारी रखी जा रही है। इस प्रयास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों का विकास व्यापक स्तर पर सम्भव हो सका है। राजस्थान में अधिकांश स्कूल, औषधालय, ग्राम पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय, पटवार घर इत्यादि पक्के बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों पूर्व की ही स्थिति से तुलना करें तो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है यह स्पष्ट हो जाएगा। हमारा यह भी प्रयास है कि पंचायतीराज संस्थाओं की आमदनी बढ़ाने के कार्य भी अधिकाधिक हाथ में लिये जाएं तथा इन्हें प्राथमिकता दी जावे। इस संदर्भ में ग्राम पंचायतों की अपनी दुकानें, खाद्यान्न भण्डार, पौधशालायें इत्यादि बनाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि पंचायती राज संस्थायें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सकें। इससे यह संस्थायें राजकीय योजनाओं के अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर भी अधिकाधिक विकास योजनाओं को हाथ में ले सकेंगी।

मरु विकास :

46. इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना तथा इस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना एवं यहां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम राज्य के 11 मरुस्थलीय जिलों में चलाया जा रहा है और वर्ष 1985-86 से पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः वन विकास, भू-जल विकास, भेड़ विकास आदि के कार्य एवं जल प्रदाय योजनाएं व लघु सिंचाई योजनाएं ली जाती हैं। वित्तीय वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है जबकि वर्ष 1987-88 में 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम :

47. विभिन्न राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले क्षेत्रों के विकास हेतु यह कार्यक्रम भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का निश्चय किया है। वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों हेतु 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसके अन्तर्गत 30 स्कूल भवनों, 10 प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्रों, 50 सामुदायिक केन्द्रों एवं 18 नई सड़कों आदि के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम :

48. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराना एवं आय के स्तर में वृद्धि करना है ताकि सूखे के प्रभाव को कम किया जा सके।

49. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 4.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उक्त राशि मुख्यतः कृषि, भू-संरक्षण कार्यों, लघु सिंचाई कार्यों एवं वृक्षारोपण कार्यों पर व्यय की जावेगी। वर्ष 1987-88 के लिये भी इस कार्यक्रम पर 4.50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

मैसिव कार्यक्रम :

50. लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा उत्पादन बढ़ाने हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति पंचायत समिति 5 लाख रुपये का अनुदान विनियोजित किये जाने का प्रावधान है। इस राशि में से 3.5 लाख रुपये लघु सिंचाई कार्य, 0.5 लाख रुपये दलहन, तिलहन व मोटे अनाज के वितरण व 1 लाख रुपये भूमि विकास के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 1986-87 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.73 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

इसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1986 तक 2.38 करोड़ रुपये के अनुदान द्वारा 1,17,773 लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 1987-88 हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5.60 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

मेवात विकास :

51. वर्ष 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास का एक नया कार्यक्रम हाथ में लिया जावेगा। इसका कार्य क्षेत्र भरतपुर व अलवर जिलों के मेव बाहुल्य क्षेत्र होंगे। इसके लिये 1987-88 की योजना में 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मेवात क्षेत्र विकास के इस कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन हेतु मेवात विकास मण्डल का गठन भी किया जा चुका है।

पशुपालन एवं डेयरी विकास :

52. वर्ष 1987-88 की वार्षिक योजना में पशुपालन कार्यक्रम पर 4.90 करोड़ रु. एवं डेयरी विकास हेतु 1.80 करोड़ रु. व्यय करने का प्रावधान है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में पशुपालन का कार्य एक प्रमुख व्यवसाय है और अर्थ व्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः पशुओं के सम्बन्ध में इस वर्ष संबंधित विभागों के कार्यक्रमों में एवं मरुस्थलीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पशुधन विकास, चिकित्सा, प्रजनन, पशुओं के लिये पेयजल इत्यादि के व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में पशु संरक्षण और चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार का यह भी प्रयास रहेगा कि जिन जिलों में जहां चल चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है उसे सुदृढ़ किया जावे और जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां चालू की जावे।

53. भेड़पालकों को विपणन व्यवस्था द्वारा उचित मूल्य उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन विपणन फेडरेशन को 10 लाख रु. की अतिरिक्त सहायता दी जावेगी ताकि बैंकों से ऋण लेकर वह करीब 1 करोड़ रु. तक की ऊन इस सहकारी वर्ष में खरीद सकें।

54. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत 5 करोड़ रु. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में चरागाह एवं पशु संवर्द्धन के लिए उपलब्ध है। चूंकि अकाल के स्थायी हल के लिए चरागाह विकास का बहुत महत्व है। अतः मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस धनराशि तथा अन्य उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर एक समन्वित कार्यक्रम बनाने हेतु एक नया उपयुक्त संगठन बनाया जायेगा ताकि इस कार्यक्रम को विशेष गति मिल सके। अतः इन सभी संसाधनों को समेकित कर उसके साथ चरागाह एवं सिल्वी पेस्टोरल विकास का समन्वय करते हुए एक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा।

55. पशु संवर्द्धन, नस्ल सुधार एवं पशुपालन पर आधारित डेयरी कार्यक्रम के माध्यम से "श्वेत क्रान्ति" लाने का प्रयास जारी है। डेयरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में डेयरी संयंत्रों की संख्या 10 हो गई है। इस वर्ष 600 दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना एवं 44 हजार सदस्य बनाने की संभावना है। दुग्ध संग्रह का 2211 लाख लीटर का लक्ष्य है। सन्तुलित पशु आहार वितरण का लक्ष्य 60,000 मैट्रिक टन का है जो पूर्ण कर लिया जावेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष में 680 नई दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य है। कुल दुग्ध संकलन 2372 लाख लीटर किया जावेगा। कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य 1.50 लाख तथा पशु आहार के वितरण का लक्ष्य 60,000 मैट्रिक टन रखा गया है।

56. राज्य में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में गायों की नस्ल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में उपलब्ध गौ-वंश में संकर प्रजनन के द्वारा उन्नत नस्ल की संकर गायें उत्पन्न

करने का कार्य भारतीय एग्रो इण्डस्ट्रीज फाउन्डेशन (बैफ) द्वारा किया जाता है। राजस्थान सरकार एवं बैफ द्वारा भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में गायों में संकर प्रजनन हेतु 50 बैफ केन्द्र खोलने का एग्रीमेन्ट दिनांक 1-4-1986 से आगामी 10 वर्षों के लिये किया गया है।

वन :

57. इस वर्ष बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 करोड़ पौधों के रोपण तथा वितरण का लक्ष्य था जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 1986 तक ही 13.27 करोड़ पौधों के रोपण एवं वितरण का कार्य किया जा चुका है। वर्ष में 6,000 हेक्टेयर कन्दरा क्षेत्रों में वायुयान से बीजारोपण करवाया गया है। विश्व बैंक की सहायता से चल रही सामाजिक वानिकी परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष 1,000 रो. कि. मी. नहरों के किनारे एवं 60 रो. कि. मी. सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया है। गांवों में ईंधन सुलभ कराने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 6,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण किया जा चुका है।

58. वर्ष 1987-88 में वन विकास के लिए 9.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो चालू वर्ष के प्रावधान से लगभग 1 करोड़ रुपये अधिक है जिससे वन विभाग द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों यथा वन्य जीव संरक्षण, वनों का पुनरा-रोपण, सड़कों तथा नहरों के किनारे वृक्षारोपण, ग्रामीण ईंधन कार्यक्रम, पंचायतों में बेकार पड़ी हुई भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि के द्वारा विकास की गति को तीव्र किया जावेगा। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है।

59. हमारे यह प्रयास है कि वन विकास में अधिकाधिक जन सहयोग प्राप्त किया जाय। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत हम अधिकाधिक पंचायतों के क्षेत्र में पौधशाला स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस विकेन्द्रित प्रणाली से इस कार्यक्रम की क्रियान्विति व्यापक रुप से हो सके।

पेयजल :

60. राज्य में पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए 1987-88 में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि वर्ष 1986-87 में इस हेतु 28.75 करोड़ रुपये का ही प्रावधान था। वर्ष 1987-88 की प्रस्तावित राशि में से 20.90 करोड़ रुपये शहरी जल प्रदाय योजना हेतु तथा 24 करोड़ रुपये ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु रखे गये हैं।

61. इसके अतिरिक्त भारत सरकार से त्वरित जल प्रदाय योजना एवं टैक्नोलोजी मिशन योजना (जो बाड़मेर जिले में चल रही है) के अन्तर्गत अधिक धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अकाल सहायता के अन्तर्गत भी अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। राजकीय योजना में उपलब्ध राशि एवं इस प्रकार की अतिरिक्त सहायता से प्राप्त राशि से जल प्रदाय समस्या के समाधान हेतु व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिये जा रहे हैं। यद्यपि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि अभी निश्चित नहीं है पर हमारा यह अनुमान है कि हमारे अपने एवं भारत सरकार के संसाधनों के आधार पर पेयजल समस्याओं के निदान हेतु करीब 100 करोड़ रुपये का एक व्यापक कार्यक्रम वर्ष 1987-88 में हाथ में लिया जाकर क्रियान्वित किया जावेगा। इस कार्यक्रम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या का समाधान कुछ सीमा तक संभव होगा। वर्ष 1987-88 के अन्त तक सात जिलों अर्थात् अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जालौर, झुन्झुनूं एवं सिरोही के सभी ग्राम जल प्रदाय योजना से जुड़ जावेंगे। अजमेर, किशनगढ़ एवं ब्यावर में पानी की समस्या बहुत ही विकट

है। वहां सतही जल स्रोत सूख गये हैं और भू-जल भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इसके स्थायी समाधान के लिये बीसलपुर योजना का कार्य इस साल शुरू कर दिया है। इस योजना के प्रथम चरण में 57 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार का यह संकल्प है कि बीसलपुर योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण करने के हर संभव प्रयास किये जायेंगे। इसी प्रकार जोधपुर की जल समस्या के समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर से जोधपुर लिफ्ट योजना के कार्य को भी, जिस पर 38.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे, तीव्र गति से शुरू कर दिया जाय एवं राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि अगले दो वर्षों में जोधपुर शहर को भी यह पानी पहुंचा दिया जावे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत सरकार, वित्तीय संस्थाओं एवं विश्व बैंक से मदद प्राप्त कर राजस्थान के सभी गांवों को किसी न किसी योजना के तहत पेयजल यथासंभव उपलब्ध करा दिया जावे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

62. वर्ष 1987–88 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर 21.36 करोड़ रुपये का व्यय करने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत एक सौ ग्रामीण डिस्पेन्सरियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने एवं 25 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। 30 रोगी शैयाओं वाले 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 700 नये उप केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। भारत सरकार की सहायता से 10 नये प्रसवोत्तर केन्द्र भी स्थापित करना प्रस्तावित है।

शिक्षा :

63. मानवीय संसाधनों को विकसित करने में शिक्षा का विशेष महत्व है। अतः प्राथमिक से विश्व विद्यालय तक की शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार हेतु वर्ष 1987-88 में विशेष प्रयास किये जायेंगे, जो इस

प्रकार हैं :–

(1) 1200 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे।

(2) 5600 प्राथमिक विद्यालयों को आपरेशन ब्लेक बोर्ड के अन्तर्गत मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

(3) नवोदय विद्यालय के लिये 12 जिलों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं स्वीकृति आने पर स्थापित किये जायेंगे।

(4) निजी शिक्षण संस्थाओं को जो गत कई वर्षों से कार्यरत हैं और अनुदान समिति की अनुशंसा के बावजूद अनुदान सूची में अब तक नहीं ली जा सकी है वर्ष 1986-87 में अनुदान सूची में लिया जा रहा है इसके लिये 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। शेष संस्थाओं को अनुदान समिति की अनुशंसा के बाद वर्ष 1987-88 में अनुदान सूची में लिया जावेगा जिसके लिये 1 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान गैर योजना मद में रखा गया है।

(5) 40 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाये जा रहे हैं।

(6) ग्रीष्मावकाश में 23,600 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(7) 220 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

(8) 2237 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी।

(9) 100 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। दस जमा दो शिक्षा पद्धति का जो वर्ष 1986-87 में लागू की गई है, और विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

(10) 3500 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे । इनमें से 1500 अनौपचारिक केन्द्र बालिकाओं के लिये स्थापित किये जायेंगे तथा 1000 अनौपचारिक केन्द्र 5-5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खोले जायेंगे जिससे शिक्षा का सार्वजनीकीकरण किया जा सके ।

(11) सीडा प्रोजेक्ट जिसका भार केन्द्र व राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करती है, के अन्तर्गत 150 केन्द्रों को दिन में व 300 केन्द्रों को रात्रि में संचालित कर 15,500 बालक बालिकाओं को जो दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं, लाभान्वित किया जायेगा ।

(12) 8 एस. टी. सी. विद्यालयों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में बदला जायेगा ताकि उनका स्वरूप व्यापक हो सके । साथ ही एक जिला शिक्षा संस्थान उस नये स्थान पर खोला जायेगा जहां एस. टी. सी. विद्यालय नहीं है ।

(13) राज्य में 4 राजकीय महाविद्यालयों को स्वशासी बनाया जायेगा ।

(14) राजस्थान विश्व विद्यालय में ललित कला का एक नया संकाय प्रारंभ किया जायेगा जिससे बी. एफ. ए. एवं एम. एफ. ए. की उपाधियां प्रदान की जा सके । कम्प्यूटर कोर्स में एम. सी. ए. का पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा ।

(15) राजस्थान विश्व विद्यालय में विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों के लिये एक नये भवन का निर्माण किया जायेगा ।

(16) वर्ष 1987–88 में राज्य सरकार 3 नये विश्व विद्यालय स्थापित करेगी जबकि राजस्थान बनने से अब तक केवल तीन विश्व विद्यालय ही स्थापित हो सके हैं। संचार एवं अन्य वैज्ञानिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए दूरगामी शिक्षा हेतु आधुनिक पद्धति के आधार पर एक ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव है । राज्य के उदयपुर विश्वविद्यालय को सामान्य विश्व-विद्यालय रखकर एक अलग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । किन्तु उदयपुर में कृषि विश्व-विद्यालय का साउथ केम्पस रहेगा जिसमें वर्तमान कृषि संकाय की जो भी प्रवृत्तियां चालू हैं, यथावत रहेंगी । इसके अतिरिक्त एक एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे राजस्थान विश्वविद्यालय पर वर्तमान में जो अत्यधिक भार है वह कम हो सकेगा और शिक्षा का स्तर भी सुधर पायेगा । इन प्रस्तावों के सन्दर्भ में हमारा प्रयास यह रहेगा कि राज्य के सभी संभागों में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित हो जाय और वर्षों से चली आ रही क्षेत्रीय मांग की पूर्ति और संतुलित शैक्षिक विकास संभव हो सके ।

(17) संस्कृत शोध संस्थान के लिये 10 लाख रुपये का टोकन प्रावधान राज्य सरकार ने किया है ।

64. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिये निर्देशन व क्रियान्वयन समितियां बनादी गई हैं । शिक्षा में व्यवसायीकरण, 1990 तक 6–11 आयु वर्ग के बच्चों का सम्पूर्ण नामांकन, 1995 तक निरक्षरता का निवारण आदि लक्ष्य पूरे किये जाने का प्रयास किया जायेगा , साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये जिला शिक्षा बोर्डों का गठन, अध्यापकों की जिम्मेदारी तय करना आदि कार्यों की समुचित योजना 1987–88 में बनाई जावेगी जिसकी अनुपालना आगामी वर्षों में हो सकेगी ।

65. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अकुशल श्रमिकों को तकनीकी शिक्षा देने एवं उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार वर्ष 1987–88 में एक विशेष कार्यक्रम हाथ में लेने जा

रही है। इसके अन्तर्गत अगले तीन वर्षों में प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्रामीण क्राफ्ट सेन्टर स्थापित किया जायेगा। इसकी क्रियान्विति हेतु वर्तमान योजनाओं से भी लाभ उठाया जावेगा।

66. वर्ष 1987-88 में 3 नये पोलीटेक्निक जिनमें से एक अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में होगा, खोले जायेंगे। पांच आई. टी. आई. केन्द्र भी स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दस आई. टी. आई. केन्द्रों में नये विषय खोले जायेंगे।

67. प्रावैधिक एवं तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार के संस्थानों के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिये आवश्यक सुविधायें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। ऐसा करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जायेगा कि इससे शिक्षा का स्तर न गिरे।

68. विज्ञान के उन्नत क्षेत्रों में जैसे कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स, बायोटेक्नोलोजी इत्यादि में शोध एवं शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में एक उच्च कोटि का साइन्स एवं टेक्नोलोजी केन्द्र निजी क्षेत्र को सहयोग देकर स्थापित किया जायेगा। हमारी यह इच्छा है कि यह केन्द्र देश के अग्रणी केन्द्रों में से एक हो।

खनिज :

69. राजस्थान खनिज सम्पदा की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। राज्य में नये खनिजों की खोज हेतु पूर्वेक्षण कार्य वर्ष 1986-87 में 63 परियोजनाओं पर कुल 4500 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में किया गया। इन कार्यों के फलस्वरूप इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले के गांव केसरपुरा (प्रतापगढ़) के निकट हीरे की खोज उल्लेखनीय रही है। अगले वर्ष विस्तृत सर्वे कर हीरे के भण्डार का पता लगाया जावेगा।

70. जैसलमेर जिले के चूना पत्थर का खनन कर स्टील प्लान्ट को इसकी सप्लाई करने की योजना राज्य सरकार ने बनाई है और यह कार्य अगले वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा। इसी प्रकार बीकानेर, नागौर व बाड़मेर जिलों में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण कर लगभग 25 करोड़ टन लिग्नाइट (भूरा कोयला) के भण्डार आंके जा चुके हैं। इस भण्डार में राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में झामरकोटड़ा प्रोजेक्ट के समन्वित विकास के लिये रॉक फास्फेट के खनन् हेतु तथा वृहत् परिशोधन संयंत्र लगाने के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मोफरा माइन्स, फ्रान्स द्वारा तैयार कराई है। इस योजना की क्रियान्विति प्रस्तावित है। यह देश में खनन क्षेत्र में अपनी तरह का एक ही संयंत्र होगा। इस खनिज के परिशोधन से काफी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। राज्य सरकार के सतत् प्रयास से भारत सरकार ने रामपुरा-अगूचा में शीशा जस्ता आदि के भण्डार पर आधारित 366 करोड़ रुपये की स्मेल्टिंग परियोजना स्वीकृत करदी है जिसकी क्रियान्विति हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा प्रारम्भ की जा रही है। इसी प्रकार हिलियम गैस का प्लान्ट तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जैसलमेर में लगाये जाने की संभावना है।

71. वर्ष 1987-88 में खनिज के विकास हेतु 8.94 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

आवास एवं नगरीय विकास :

72. राज्य में नगरीय विकास के साथ आवास की समस्या जटिल होती जा रही है। आवासीय समस्या का समाधान दो तरीकों से करने की राज्य सरकार की नीति रही है। प्रथम यह है कि आवासन मण्डल द्वारा अधिकाधिक मकान बनाकर जनता को उपलब्ध कराये जायें। दूसरा यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास

न्यासों एवं नगरपालिकाओं द्वारा शहरों में अधिक से अधिक लोगों को मकान बनाने के लिये भूखण्ड उपलब्ध कराये जायें।

73. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1987-88 में 18,000 तथा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन वित्त समिति द्वारा 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है।

74. ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग की आवास सुविधा हेतु वर्ष 1987-88 में व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जावेगा। विभिन्न कार्यक्रम जैसे एन. आर. ई. पी., अकाल सहायता, इन्दिरा आवास योजना तथा राज्य योजना के अन्तर्गत चलने वाले कार्यक्रमों का आपस में समन्वय कर लगभग 56,000 मकान अगले साल बनाये जाने का कार्यक्रम है। इस प्रकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 75,000 मकान बनाने का लक्ष्य है।

75. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा 20 लाख रुपये भिवाड़ी एवं 16.50 लाख रुपये अलवर के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

उद्योग :

76. कृषि के साथ औद्योगिक विकास भी किसी देश अथवा राज्य के लिए आवश्यक है ताकि अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सके, अधिक लोगों को रोजगार मिले, राज्य की आय में तत्काल अथवा कुछ समय बाद वृद्धि हो और राज्य के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रोत्साहन मिल सके। औद्योगीकरण की गति तीव्र करने के लिये सरकार एवं उसके विभिन्न औद्योगिक निगम विशेष प्रयत्न कर रहे हैं। वर्ष 1986 में राज्य सरकार के प्रयासों से कुल 24 वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिये आशय-पत्र, लाइसेन्स एवं अनुमतियां प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में लगभग 300 करोड़ रु. का विनियोजन सम्भव हो सकेगा। राज्य के औद्योगीकरण की नीति में प्रमुख महत्व लघु उद्योगों के विकास को दिया जा रहा है। वर्ष 1986–87 में राज्य में 4000 लघु एवं दस्तकारी इकाइयों के पंजीकरण की तुलना में, जनवरी 1987 तक 5597 इकाइयों का पंजीकरण किया जा चुका है। शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष के लक्ष्य 10,300 के विरुद्ध, 12,400 युवकों को चयनित कर उनके आवेदन-पत्र बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन बुनकरों हेतु 680 कार्यशालाओं के लिए अनुदान की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान की गई है। ऐसी अपेक्षा है कि इस वर्ष के अन्त तक राजस्थान वित्त निगम द्वारा लगभग 70 करोड़ रु. की ऋण सुविधा मध्यम एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृत की जायेगी। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम से सहायता प्राप्त कुल 19 परियोजनाओं ने इस वर्ष उत्पादन प्रारम्भ किया।

77. पिछले कुछ महीनों में राज्य सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण कर, वर्तमान नीति में सुधार लाने हेतु कुछ नीतिगत कदम उठाये हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि इन कदमों के फलस्वरूप प्रदेश का सामान्य वातावरण औद्योगिक विनियोजन के लिये अत्यधिक आकर्षक बने, प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावी हो तथा आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाय। इस नवीन कार्य योजना के अन्तर्गत हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लघु तथा लघुतर उद्योगों की स्थापना हेतु एक कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। कृषि एवं पशुपालन पर आधारित नये उद्योगों के लिए विशेष सहायता प्रदान की जायेगी एवं कुछ चयनित रोजगार प्रधान उद्योगों के विकास के लिये भी विशेष कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। औद्योगीकरण के इस प्रस्तावित कार्यक्रम के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम एक

प्रभावी "वन विन्डो सर्विस" शुरू कर रहा है ताकि उद्यमियों को समयबद्ध तरीके से विभिन्न स्वीकृतियां एवं सहायता निश्चित रूप से उपलब्ध हो सके।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको), वित्त निगम और उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान एवं देश के अन्य राज्यों में औद्योगिक कैम्पेन द्वारा राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के गहन प्रयास किये जायेंगे।

(3) राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम वर्ष 1987-88 में लगभग 100 करोड़ रुपये के वित्तीय ऋण व सहायता लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृत करेंगे।

(4) विद्युत् की कमी के सन्दर्भ में उद्योगों द्वारा डी. जी. सैट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा विद्युत् उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु उनके द्वारा उत्पादित विद्युत् पर विद्युत् शुल्क सम्बन्धी कुछ रियायतें भी दी जाएंगी जिनका उल्लेख मैं आगे करूंगा।

(5) खनिज पर आधारित उद्योगों के विकास को तीव्र करने के उद्देश्य से खनिज पट्टों की स्वीकृति हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

(6) कृषि एवं पशुपालन पर आधारित नये उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ तथा ऐसे वर्तमान उद्योगों में पर्याप्त विस्तार हेतु विशेष सुविधायें दी जायेंगी ताकि किसानों एवं पशुपालकों को उचित मूल्य मिल सके और वैल्यू एडेड तथा औद्योगिक विकास का लाभ राज्य में ही प्राप्त हो सके। इन्हें प्राथमिकताओं के आधार पर भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन, ऋण इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। कृषि

एवं पशुपालन पर आधारित नये उद्योगों को तथा ऐसे वर्तमान उद्योगों के पर्याप्त विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त कर रियायतें भी दी जायेंगी।

(7) रोजगार प्रधान उद्योगों को भी विशेष सुविधायें दी जायेंगी जैसे प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन तथा ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। ऐसे कुछ चयनित उद्योगों को कर रियायतें भी दी जायेंगी।

(8) पूरे देश की तरह राज्य में भी रुग्ण उद्योगों की समस्या विषम बनी हुई है। ऐसी इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे। ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि इस सम्बन्ध में राजकीय स्तर पर गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशें सामान्यतः सभी विभागों, निगमों एवं बोर्डों द्वारा क्रियान्वित की जायें। राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में रुग्ण इकाइयों के लिये बने बोर्ड का भी लाभ उठाया जायेगा। रुग्ण इकाइयों को कर सम्बन्धी रियायतें भी दी जायेंगी। ऐसी इकाइयों के पुनरुद्धार से बेरोजगारी एवं करों की हानि की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा ऐसी आशा है।

(9) राज्य सरकार द्वारा स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु राजकीय खरीद के सम्बन्ध में जो नीति बनी हुई है, उसे और सशक्त एवं विस्तृत किया जा रहा है ताकि स्थानीय उद्योगों को और अधिक सम्बल प्राप्त हो सके एवं कर प्राप्ति में भी वृद्धि हो।

(10) राजस्थान में इलेक्ट्रोनिक्स के नये उद्योगों पर अनुदान की दर बढ़ाई जायेगी। ऐसे इलेक्ट्रोनिक उद्योगों के लिये जिनमें स्थायी पूंजी विनियोजन 5 करोड़ रुपये से अधिक होगा अनुदान की दर स्थायी विनियोजन का 25 प्रतिशत तक अथवा 25 लाख रुपये

तक जो भी कम हो, बढ़ाई जायेगी। शेष नई इलेक्ट्रोनिक इकाइयों के लिये जिनमें स्थायी विनियोजन 5 करोड़ रुपये से कम होगा अनुदान की दर स्थायी विनियोजन का 15 प्रतिशत अथवा 15 लाख रुपये, जो भी कम हो, रहेगी। अनुदान की नई दरें वर्तमान में देय अनुदान को सम्मिलित करते हुए निर्धारित की जा रही हैं। यह अनुदान उन लघु उद्योगों को भी देय होगा जो बड़े शहरों में सरकार द्वारा अंकित ग्रोथ सेन्टर्स में स्थित हैं। यह सुविधा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जारी रहेगी और उसके बाद इस पर पुनर्विचार किया जायेगा।

(11) नाबार्ड की सहायता से राज्य सरकार वर्ष 1987-88 में करीब 10,000 लघु और लघुतर उद्योगों को स्थापित कराने का प्रयास कर रही है।

(12) प्रदेश के निर्धन बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार एक थ्रिफ्ट फण्ड की योजना प्रारम्भ कर रही है।

(13) राजस्थान में एक नया उद्यमी विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(14) राज्य सरकार कुछ समय से यह अनुभव कर रही है कि प्रदेश की वर्तमान कर नीतियां औद्योगिक विनियोजन हेतु उपयुक्त नहीं हैं। हमारे पड़ौसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, गुजरात, हरियाणा आदि उद्यमियों को अत्यधिक आकर्षक सुविधायें प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने एक आधारभूत नीति निर्णय लिया है, जिसके अन्तर्गत कुछ निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन नई औद्योगिक इकाइयां विकसित जिलों में 5 वर्ष तक तथा पिछड़े जिलों में 7 वर्ष तक निर्मित माल पर बिक्री कर से मुक्त रहेंगी। ऐसी पंचायत समितियों में, जिनमें एक भी वृहद् अथवा मध्यम उद्योग स्थापित नहीं हुआ है, सबसे पहले स्थापित होने वाले पायनियरिंग उद्योग को निर्मित वस्तुओं पर बिक्री कर से, विकसित जिलों में 7 वर्षों तक तथा पिछड़े जिलों में 9 वर्षों तक मुक्ति दी जायेगी। यह सुविधा उन्हीं पायनियरिंग औद्योगिक इकाईयों को दी जायेगी जिनका स्थाई पूंजी विनियोजन कम से कम 3 करोड़ रुपये का हो एवं स्थायी रोजगार 100 व्यक्तियों का हो। ऐसी नई औद्योगिक इकाईयों को जिनका स्थायी पूंजी विनियोजन 10 लाख रुपये से अधिक है कर मुक्ति के स्थान पर कर स्थगन की सुविधा का विकल्प भी दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसे यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।

78. हम आशावान हैं कि इन कदमों के फलस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास और विकेन्द्रीकरण का एक नया अध्याय प्रारम्भ हो सकेगा।

परिवहन :

79. माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष बजट पेश करते समय निजी मोटर वाहनों के रोड टैक्स के वार्षिक भुगतान की पद्धति के स्थान पर एक मुश्त राशि के भुगतान की व्यवस्था लागू की गई थी। यह मोटर वाहनों पर करारोपण के क्षेत्र में देश भर में अग्रणी कदम रहा है। केन्द्र सरकार ने अन्य राज्यों को भी हमारी ही तरह गैर परिवहन मोटर यानों के लिये ऐसी कर प्रणाली लागू करने की सलाह दी है।

80. राज्य में सड़कों और आवागमन की सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से इस वर्ष अभी तक राज्य के 450 से अधिक निजी मार्गों पर लगभग एक हजार नये परमिट स्वीकृत किये जा

चुके हैं। वर्तमान में राज्य के 2,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को बस सुविधा उपलब्ध है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक एक हजार या उससे अधिक आबादी के समस्त गांवों को बस सुविधा से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं।

समाज कल्याण :

81. अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक उत्थान के लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। शैक्षणिक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 1987-88 में 17 नये छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित हैं जिससे 425 छात्रों को लाभ प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में आने वाले आशार्थियों को विभिन्न व्यक्तिगत लाभ की योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान की राशि जो क्रमशः 25 एवं 33⅓ प्रतिशत थी इस वर्ष बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है।

82. नये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,20,607 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है। विकलांग छात्रवृति की पात्रता हेतु पूर्व में 750 रुपये प्रति माह की परिवार की आय सीमा निर्धारित थी जिसे बढ़ाकर अब 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार विकलांगों के उपकरण तथा उनके स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये परिवार की आय सीमा जो पूर्व में 300 रुपये प्रति माह थी, को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दी गयी है। साथ ही विकलांग उपकरण सहायता राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी गयी है।

83. महिला कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विमन्दित महिला गृह जयपुर में प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न नगरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वयं सेवी संस्थाओं व स्थानीय निकायों के माध्यम से 25 छात्रावासों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 13 छात्रावास निर्मित हो चुके हैं।

84. अनुसूचित जाति के लोगों के लिये आर्थिक उत्थान हेतु निम्न आठ नई योजनायें वर्ष 1987-88 से लागू की जा रही हैं :-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में दुकान आवंटन योजना :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक लाभान्वित व्यक्ति को 5,000 रुपये अनुदान दिया जायेगा और चालू पूंजी के लिये 2,000 रुपये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) सामूहिक पम्प सेट योजना :

अनुसूचित जन जाति क्षेत्र में चल रही सामूहिक पम्प सेट योजना के अनुरूप अनुसूचित जाति के लिए भी ऐसी योजना 1987-88 में शुरू की जा रही है। इसमें पांच से दस लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों को एक पम्प सेट उपलब्ध कराया जायेगा जो निःशुल्क होगा। इस योजना से करीब चार हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा।

(3) सामूहिक सिंचाई योजना :

अनुसूचित जाति के परिवारों को सामूहिक रूप से सिंचाई के लिये निःशुल्क कुआं उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें प्रत्येक कुए की औसतन लागत 50,000 रुपये आयेगी। इस योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये लगाकर एक हजार परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

(4) सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजना :

राज्य में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अधिक अवसर देने के लिए अगले तीन वर्षों में 10 सेवा पूर्व

प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना बनाई गई है जिसे तीन वर्ष में पूरा किया जायेगा । वर्ष 1987-88 में चार केन्द्र ऐसे जिलों में खोले जायेंगे जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है । प्रत्येक केन्द्र पर अनुमानतः 5 लाख रुपये व्यय होंगे ।

(5) दुग्ध विकास योजना के अन्तर्गत संकर गायें उपलब्ध कराने की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में 8 जिलों में 1,000 संकर गायें उपलब्ध कराई जायेंगी जिससे अनुसूचित जाति के एक हजार परिवारों को दुग्ध विकास से आमदनी प्राप्त हो सकेगी ।

(6) सामाजिक वानिकी योजना :

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लाभार्थ राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ने वृक्षारोपण की एक त्रिवर्षीय वृहत् योजना बनाई है जिस पर अनुमानतः 10 करोड़ 65 लाख रुपये का व्यय होगा । इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों को उनके स्वयं के खेतों पर तथा बंजर भूमि पर वृक्ष लगाने, नर्सरी लगाने एवं वृक्षारोपण करने के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। प्रथम वर्ष में विभिन्न जिलों की 58 पंचायत समितियों में 11.600 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा जिस पर 3 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(7) सामूहिक एवं समग्र विकास कार्यक्रम (कलस्टर कम सचूरेशन एप्रोच) :

जिला भीलवाड़ा की सहाड़ा एवं रायपुर पंचायत समितियों में अनुसूचित जाति के समस्त 1600 परिवारों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा ताकि उनके स्वरोजगार एवं जीवनयापन के साधनों का विकास किया जा सके । इसके सफल होने पर इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जावेगा ।

(8) भंगी कष्ट मुक्ति योजना :

इस योजना के अन्तर्गत हरिजनों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भीलवाड़ा, पाली, नागौर, सिरोही एवं मकराना नगर-पालिका के क्षेत्रों के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

श्रमिक कल्याण :

85. राज्य सरकार ने दिनांक 17 फरवरी, 1987 को एक अधिसूचना जारी कर न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत आने वाले 37 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि करदी है । इस वृद्धि के अनुसार अकुशल श्रमिक को 11.00 रुपये के स्थान पर 14.00 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिक को रुपये 12.00 के स्थान पर रुपये 15.50 पैसे तथा कुशल श्रमिक को रुपये 13.25 पैसे के स्थान पर रुपये 17.00 प्रतिदिन देय होंगे । यह बढ़ोतरी 1-3-1987 से लागू की गई है । राज्य सरकार ने पहली बार अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में क्रमशः रुपये 3.00, रुपये 3.50 पैसे तथा रुपये 3.75 पैसे प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है । इसका लाभ राज्य के 7 लाख से अधिक कृषि श्रमिकों को तथा विभिन्न अन्य 36 अनुसूचित नियोजनों में कार्य करने वाले 15 लाख असंगठित तथा असुरक्षित श्रमिकों को प्राप्त होगा ।

86. राज्य के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 11 नगरों में दुकानों एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम का लाभ सुनिश्चित करने हेतु "राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान (कर्मचारी जीवन बीमा) अध्यादेश, 1986" जारी किया जा चुका है । इस अध्यादेश

के अन्तर्गत किसी कर्मचारी/श्रमिक की मृत्यु पर उसके आश्रित को 5,000 रुपये की राशि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदत्त की जावेगी।

महिला, बच्चे एवं पौषाहार कार्यक्रम :

87. समेकित बाल विकास योजना (आई. सी. डी. एस.) के अन्तर्गत वर्तमान में 63 बाल विकास परियोजनायें कार्यरत हैं जिनसे 5.89 लाख बच्चे एवं महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1987-88 में इस योजना पर 11.52 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान रखा गया है। इन्हीं परियोजनाओं में 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं दूध पिलाती महिलाओं को पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्द्धक आहार उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1987-88 में राज्य सरकार द्वारा उदयपुर एवं जयपुर जिलों में मशीनों द्वारा तैयार की गई खाद्य सामग्री हेतु प्लान्ट लगाने का निर्णय लिया गया है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

88. राज्य के जनजाति परिवारों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नयन हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत लाभ तथा सामुदायिक एवं क्षेत्रीय विकास की योजनाएं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र एवं बिखरी हुई जनजाति आबादी वाले निम्न चार क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है :–

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र :

इस क्षेत्र में क्रियान्वित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 98.70 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान है। इस प्रावधान में से सबसे अधिक व्यय सिंचाई एवं विद्युत् विकास पर किया जा रहा है। इस वर्ष कई नये कार्यक्रम भी शुरू किये गये हैं जिनमें फल विकास, बैर बडिंग, डीजल पम्पसेट आदि के माध्यम स सामुदायिक सिंचाई तथा वृक्षों की खेती आदि प्रमुख है। कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर, 1986 तक 1258 क्विंटल उन्नत बीज एवं 6097 मैट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया गया। फल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.79 लाख पौधों का वितरण कर 1985 जनजाति कृषकों को लाभ पहुंचाया गया। इस वर्ष समूह के रूप में वृक्षों की खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 लाख पौधे वितरित कर 2500 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। शिक्षा के प्रति जागृत करने हेतु 98,000 जनजाति छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाकें, पुस्तकें एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।

वर्ष 1987-88 में इस योजना हेतु 76.43 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं जिसमें से सबसे अधिक आवंटन सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिये है।

(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम (माडा):

वर्ष 1986-87 में विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत इस योजना हेतु 3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। अगले वर्ष 1987-88 के लिये 3.30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। व्यक्तिगत लाभ के विभिन्न कार्यक्रमों से वर्ष 1987-88 में 17,892 जनजाति परिवारों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

(3) सहरिया विकास कार्यक्रम :

सहरिया आदिम जाति के आर्थिक उन्नयन हेतु कोटा जिले की पंचायत समिति किशनगंज एवं शाहबाद में सहरिया विकास कार्यक्रम अलग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम हेतु इस वर्ष प्रथम बार 10 लाख रुपये की धन राशि राज्य योजनान्तर्गत अलग से स्वीकृत की गई है।

वर्ष 1987-88 में कुल 30 लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है जिसमें से 20 लाख रुपये

की राशि केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत एवं 10 लाख रुपये की राशि राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित कुल धनराशि का 31.17 प्रतिशत लघु सिंचाई कार्यक्रमों पर रखा गया है जिससे कि सहरिया कृषक परिवारों को सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हो सकें।

(4) बिखरी जनजाति आबादी हेतु विकास की योजनायें :

राज्य में 1981 की जनगणना के अनुसार 41.83 लाख की जनजाति आबादी निवास करती है जिसमें से जनजाति उपयोजना, माडा, कलस्टर एवं सहरिया कार्यक्रमों के अन्तर्गत 27.53 लाख जनजाति के व्यक्तियों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। शेष 14.30 लाख जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु चालू वर्ष में प्रथम बार "बिखरी जनजाति के विकास" कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 32.14 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 1987-88 के लिये 50 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है।

समन्वित नारू उन्मूलन परियोजना :

89. चालू वर्ष में यूनिसेफ के माध्यम से स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी द्वारा नारू उन्मूलन परियोजना डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों में प्रारंभ करदी गई है। यह परियोजना 13 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 1990 तक क्रियान्वित की जावेगी। इस परियोजना का 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। इसी प्रकार की एक पूरक परियोजना उदयपुर जिले में वर्ष 1987-88 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

90. बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में कुल 60,200 जनजाति के परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 1986 तक 60,884 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। अतः उपलब्धि शत-प्रतिशत अर्जित की जा चुकी है। वर्ष 1987-88 हेतु 71,762 जनजाति परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है जिसमें से 37,969 परिवार जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम, 15,947 माडा कार्यक्रम, 556 सहरिया कार्यक्रम एवं 17,290 परिवारों को बिखरी हुई जनजाति कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

91. राज्य में पर्यटन विकास के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है। वर्ष 1986-87 में पर्यटक विकास के लिये आयोजना मद में 175 लाख रुपये का प्रावधान है। इस प्रावधान को बढ़ाकर वर्ष 1987-88 में 210 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है। इस राशि का उपयोग पर्यटक स्थलों के विकास, पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिये प्रचार प्रसार सामग्री मुद्रित करने, मेले व त्यौहारों का लोक संस्कृति के अनुरूप आयोजन करने तथा पर्यटकों की सुविधार्थ सुखद आवास व्यवस्था व परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने में किया जायेगा। इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिसम्बर, 1986 तक स्वदेशी पर्यटकों की संख्या 32.10 लाख और विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.92 लाख रही जबकि वर्ष 1982 में यह संख्या क्रमशः 27.80 लाख एवं 2.37 लाख थी। पर्यटकों को विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर होटल की आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार का होटल मालिकों को इस कार्य में समुचित सहायता देने का प्रस्ताव है। उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

92. राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिखरी हुई कलाओं को संरक्षण प्रदान करने एवं शोधकर्ताओं एवं पर्यटकों को इनके बारे में

व्यापक जानकारी देने के लिये जयपुर में "जवाहर कला केन्द्र" की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

93. राज्य सरकार द्वारा सृजनात्मक कलाओं एवं भाषाओं के क्षेत्र में एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की जायेगी जिसके अन्तर्गत संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, संगीत, चित्रकला एवं लोक कलाओं के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रत्येक क्षेत्र में तीन पुरस्कार दिये जायेंगे जिनकी राशि रुपये 51,000/-, रुपये 21,000/- व रुपये 11,000/- होगी। राज्य सरकार एक राज्य कला एवं संस्कृति समिति गठित करेगी जो देश व राज्य की प्रमुख कलाओं को संवर्द्धन प्रोत्साहन देगी।

94. राजस्थान में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु नीति एवं संगठन के लिये राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी।

सड़क एवं पुल :

95. राजस्थान में सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए वर्ष 1986-87 में 13.54 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य योजना में किया गया है। 21 सड़क कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं इन पर कार्य शुरू कर दिया है। इस राशि से लगभग 550 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जावेगा तथा 1500 से अधिक की आबादी के 60 गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत 10.47 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिससे 30 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण तथा 50 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्गों को चौड़ा करने का कार्य तथा बड़े पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। भारत सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में 85 लाख रुपये की लागत की 2 सड़कें स्वीकृत की हैं जिन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1987–88 के लिये सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु 17.90 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है जिससे लगभग 650 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

96. बीकानेर शहर में रानी बाजार क्षेत्र में 175 लाख रुपये की लागत से एक रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है और यह कार्य 1987-88 में प्रारम्भ हो जायेगा। इसके अतिरिक्त करौली-सम्बलगढ़ सड़क पर करौली तहसील में मंड्रेल में चम्बल नदी पर पुल निर्माण हेतु 450 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

97. राज्य के कोटा एवं सवाईमाधोपुर जिलों में सड़कों पर पुलों के न होने से विशेषकर वर्षा में यातायात अवरुद्ध हो जाता है। वर्ष 1987-88 में कोटा जिले में कोटा-बारां-शाहबाद सड़क पर पार्वती, काली सिंध व अलनियां नदियों पर 3 पुलों तथा बारां-झालावाड़ सड़क पर परवन नदी पर एक पुल एवं सवाईमाधोपुर जिले में गंगापुर-भाड़ोती सड़क पर मोरेल एवं जीवद नदियों पर 2 पुल, भरतपुर-बयाना-गंगापुर सड़क पर जगर नदी पर एक पुल, धमाना-धोलेटा-टीगरिया सड़क पर गंभीर नदी पर एवं जसथाना-बौंली-निवाई सड़क पर ढील नदी पर एक एक पुल–कुल मिलाकर 9 पुलों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण व योजना बनाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

98. भारत सरकार ने डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 19.82 करोड़ रुपये की लागत के 22 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये हैं जिन पर इस वर्ष में एक करोड़ रुपये व्यय करने की योजना है। वर्ष 1987-88 में 3 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव राज्य योजना में किया गया है तथा इतना ही प्रावधान केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में करने का प्रस्ताव है।

99. सीमा सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 11.84 करोड़ रुपये की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिन पर इस वर्ष एक करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान है।

राजस्व प्रशासन :

100. सीलिंग कानूनों के अन्तर्गत दिसम्बर, 1986 तक 6.12 लाख एकड़ भूमि अधिग्रहण योग्य घोषित की गई थी, जिसमें से 5.42 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है और इसमें से 4.41 लाख एकड़ भूमि 72,469 व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है अथवा वैकल्पिक उपयोग हेतु आरक्षित करदी गई है। आवंटियों में से 26,708 व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं 10,258 व्यक्ति जन-जाति के हैं ।

101. राजस्व प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने की दृष्टि से तथा क्षेत्रीय स्तर से ही जिलाधीशों को उपयुक्त मार्गदर्शन मिल सके इस उद्देश्य से राज्य में 6 संभागीय आयुक्तों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं ।

अकाल राहत :

102. जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं वर्ष 1986-87 में राज्य को भीषण अकाल एवं सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है । सूखे के प्रभाव से 100.58 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल को क्षति हुई है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने, पशुधन के संरक्षण, पेयजल व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा अकाल राहत कार्यों पर व्यय हेतु वर्ष 1986-87 में जुलाई, 1986 तक के लिए 98.70 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई ।

103. सूखे एवं अकाल की स्थिति के कारण राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में भू-राजस्व की वसूली 30 सितम्बर, 1987 तक स्थगित करदी गई है । सहकारी अल्प-कालीन ऋणों को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित किये जाने के तथा जो गांव तीन सालों से लगातार अभावग्रस्त रहे हैं उन ग्रामों के एक साल के लगान को माफ करने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं । अकाल के कारण राज्य सरकार पर न केवल असाधारण व्यय भार ही पड़ा है अपितु विभिन्न मदों में होने वाली आय में भी कमी आई है जैसे वर्ष 1986-87 के मूल अनुमानों में भू-राजस्व मद से आय 25.04 करोड़ रुपये थी जो अब संशोधित अनुमानों में घटकर 19.11 करोड़ रुपये ही हो पायेगी । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुछ मदों में आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की निर्धारित व्यय सीमा से भी अधिक व्यय स्वीकृत किया गया तथा वह व्यय पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जावेगा । इसके अतिरिक्त राज्य में बाढ़ व ओला वृष्टि से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा क्रमशः 7.59 करोड़ रुपये एवं 1.17 करोड़ रुपये के व्यय की सीमा वर्ष 1986-87 के लिये निर्धारित की गई ।

104. वर्ष 1986-87 में वर्षा अपर्याप्त होने के कारण सम्वत् 2043 में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य हेतु तथा अन्य राहत कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा 42.75 करोड़ रुपये की राशि की व्यय सीमा स्वीकृत की गई है । भारत सरकार ने सहायता कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान हेतु 3 लाख मैट्रिक टन गेहूं राज्य सरकार को मुफ्त उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सहायता हेतु वर्ष 1987-88 के प्रथम 3 माह के लिये (अप्रेल-जून, 1987) 11.32 करोड़ रुपये के व्यय की सीमा की स्वीकृति प्राप्त हुई है ।

अल्प बचत :

105. अल्प बचत से संग्रहीत शुद्ध राशि का दो तिहाई भाग राज्य सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होता है । वर्ष 1986-87

में अल्प बचत के अन्तर्गत 168 करोड़ रु. की राशि जमा करने का लक्ष्य रखा गया था जिसको संशोधित अनुमानों में 157 करोड़ रुपये रखा गया है। यह कमी मुख्यतः भारत सरकार द्वारा प्रावधायी निधि में विनियोजन की पद्धति में परिवर्तन करने एवं नये 6 वर्षीय बचत पत्रों के अवधि-पूर्व भुगतान पर रोक लगाने के कारण है। भारत सरकार ने एक नया बचत पत्र "इन्दिरा विकास पत्र" 19 नवम्बर, 1986 से जारी किया है जिसके प्रति जनता में विशेष रुचि परिलक्षित हो रही है और इसको देखते हुए वर्ष 1987-88 के लिये अल्प बचत में संग्रहण का लक्ष्य 232 करोड़ रुपये रखा है। इस संग्रहीत राशि के पेटे 155 करोड़ रुपये का ऋण राज्य सरकार को उपलब्ध होगा।

प्रशासन के स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रम :

106. आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1985-86 से 1988-89 तक के चार वर्षों में प्रशासन के स्तर में सुधार के लिये 48.20 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा जिसमें राजस्व व्यय के लिये 18.47 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के लिये 29.73 करोड़ रुपये होंगे। इस राशि में से पुलिस के लिये आवास निर्माण, कोष कार्यालयों तथा तहसीलों एवं उप-तहसीलों में भवन निर्माण आदि का कार्य किया जा रहा है। 220 अपर सबोर्डिनेट एवं 1652 लोअर सबोर्डिनेट क्वार्टरों का मार्च, 1989 तक निर्माण कराये जाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। 48.20 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान के विरुद्ध वर्ष 1986-87 के अन्त तक 17.55 करोड़ रुपये व्यय हो जाने का अनुमान है। वर्ष 1987-88 के लिये 18.05 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

107. व्यवस्था के सरलीकरण और उसमें गति लाने के लिये राज्य में कम्प्यूटर प्रयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके लिए एक व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। वर्ष 1987-88 में नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर (National Informatics Centre) द्वारा शासन सचिवालय में एक मिनी सुपर कम्प्यूटर स्थापित किया जावेगा। वर्ष 1987-88 में सभी जिला मुख्यालयों पर कम्प्यूटर लगाया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के लिये एक संगठन स्थापित किया जावेगा।

108. गत वर्ष राज्य सरकार ने जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया था ताकि जिला प्रशासन अधिक उत्तरदायी, विनम्र एवं चुस्त बन सके। वर्ष 1986-87 में यह सुधार का कार्यक्रम प्रदेश के 13 जिलों में चलाया गया है एवं इस हेतु 17.08 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 1987-88 में राजस्थान के सभी जिलों में यह कार्यक्रम लागू करने हेतु 25 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है।

वर्ष 1985-86 की वास्तविक स्थिति :

109. वर्ष 1985-86 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5.53 करोड़ रुपये का अधिशेष अनुमानित था। रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1985-86 के अन्त में 67.76 करोड़ रुपये का अधिशेष रहा। यह अधिशेष राज्य कोषालयों में विभिन्न संस्थाओं के निजी निक्षेप खातों में उपलब्ध राशि, भारत सरकार से महाजन फील्ड फायरिंग रेन्ज, बीकानेर के मुआवजे से प्राप्त राशि एवं शुद्ध ब्याज की देनदारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के कारण रही है।

वर्ष 1986-87 के संशोधित अनुमान :

110. वर्ष 1986-87 के बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में 50.38 करोड़ रुपये का घाटा आंका गया था। तत्पश्चात् पत्थर अथवा संगमरमर से बनाई हुई मूर्तियों तथा प्रतिमाओं पर बिक्री कर की छूट को यथावत रखने के परिणामस्वरूप 0.15 करोड़

रुपये की कमी के कारण यह घाटा बढ़कर 50.53 करोड़ रुपये हो गया था। वर्ष 1986-87 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 89.36 करोड़ रुपये के घाटे के अनुमान हैं। इसमें वर्ष 1986-87 के प्रारंभिक अधिशेष के 67.76 करोड़ रुपयों को सम्मिलित करने के पश्चात् इस वर्ष के अन्त में 21.60 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है।

आय-व्ययक अनुमान 1987-88 :

111. वर्ष 1987-88 के बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपयों में)
1. राजस्व प्राप्तियां	1821.86
2. राजस्व व्यय	1934.88
3. राजस्व खाते में घाटा	(—)113.02
4. पूंजीगत प्राप्तियां	749.36
5. योग (3+4)	636.34
6. पूंजीगत व्यय	770.36
7. शुद्ध घाटा (5—6)	(—)134.02

112. वर्ष 1986-87 के अन्त में रहे 21.60 करोड़ रुपये के संभावित घाटे को जोड़कर वर्ष 1987-88 के अन्त में समग्र घाटा 155.62 करोड़ रुपये का रहने का अनुमान है।

कर प्रस्ताव :

113. हम सभी को इसका पूर्ण अहसास है कि हमारा प्रदेश लगातार तीसरे अकाल वर्ष की विभिषिका से गुजर रहा है व इस स्थिति में अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने के किसी भी प्रयास की प्रतिक्रिया क्षोभजनक ही होगी। इस परिवेश में मेरा उत्तरदायित्व और भी कठिन हो जाता है क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रदेश के विकास की गति धीमी नहीं हो जाय। इसके लिये इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखना होगा कि अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये जनसाधारण की क्षमता एवं आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों के बीच उचित संतुलन रक्खा जावे।

114. मैंने अपने आपको असमन्जस की स्थिति में पाया जबकि मैं इस समस्या पर विचार कर रहा था कि मैं किस प्रकार 1987-88 की वार्षिक योजना के लिए निश्चित धनराशि व उपलब्ध साधनों के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक राशि जुटाऊं। मेरे सम्मुख दो ही विकल्प थे। एक तो यह कि योजना के आकार को घटाया जाय जो तभी सम्भव था जबकि प्रदेश की प्रगति के लिए प्रस्तावित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट व योजनाओं के लिए आवंटित की गयी राशि को कम कर दिया जाय या फिर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाये जावें। यह दोनों ही बातें समान रूप से अप्रिय हैं और अनिच्छापूर्वक मैंने राज्य की सन्तुलित प्रगति के हित में उत्तरवर्ती विकल्प को चुना है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अच्छे कल के लिए आज का बलिदान करना अधिक उचित नीति है। दुर्भाग्यवश हमारी अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने की क्षमता कुछ तो संवैधानिक प्रतिबंधों एवं कुछ प्रदेश की आर्थिक परिस्थितियों से काफी सीमित है।

115. उपरोक्त परिस्थितियों में, यदि हमें, प्रदेश के विकास की गति को बनाये रखना है एवं राज्य सरकार पर जो अप्रत्याशित

आर्थिक भार राज्य कर्मचारियों के बढ़ाये गये वेतन-भत्ते एवं बोनस आदि के भुगतान के रूप में आ पड़ा है उसे पूरा करना है तो चाहे यह कार्य अप्रिय भी लगे अतिरिक्त साधन बढ़ाये बगैर पूरा करना सम्भव नहीं है।

116. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अन्य कोई विकल्प न होने के कारण मैं वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निम्न उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं :

विक्रय कर :

117. आपको स्मरण होगा कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए संशोधित बजट द्वारा राजस्थान विक्रय कर के अन्तर्गत व्यवहारी द्वारा देय विक्रय कर पर 10 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) लगाया गया था। मैं अब इस दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित करता हूं जिससे कि इससे वर्ष भर में 22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमद होगी।

118. संसद द्वारा संविधान (छियालीसवें संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा अनुच्छेद 366 में खण्ड (29-क) जोड़ा गया था जिससे कि राज्यों द्वारा वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय पर टैक्स लगाये जाने का दायरा बढ़ गया है। इसके फलस्वरूप कई राज्यों ने अपने विक्रय कर के प्रावधानों में संशोधन कर संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रैक्ट), लीज़ आदि पर कर लगाया है। राजस्थान में जो ठेकेदार व व्यवहारी इस प्रकार का कार्य करते हैं वे अभी तक इस कर भार से बचे हुए हैं, उन्हें भी इस कर सीमा में लाने के लिए मैं इन पर कर लगाना प्रस्तावित करता हूं। इस करारोपण से वर्ष भर में 2 करोड़ रुपये की आय संभावित है।

119. मैं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टियों में से "गन्ना" एवं "ताजा दूध (चाहे वह वसायुक्त हो या उसमें से वसा तत्व निकाल लिए गए हों या कम कर दिये गये हों)" को विलोपित करना भी प्रस्तावित करता हूँ ताकि इन पर कर देय हो सके। गन्ने पर 2 प्रतिशत कर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन एवं ताजा दूध पर 1 प्रतिशत कर केवल केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अधीन लगाया जाना प्रस्तावित है जो केवल अन्तर्राज्यीय विक्रय पर ही होगा। राज्य के भीतर विक्रय किए जाने वाले ऐसे ताजा दूध पर कोई विक्रय कर देय नहीं होगा। इस करारोपण से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये की आय अनुमानित है।

120. मैं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अधीन निम्नांकित माल पर देय कर की दर में वृद्धि का भी प्रस्ताव करता हूं :

क्रम सं.	माल	वर्तमान प्रतिशत	प्रस्तावित प्रतिशत
1.	खल	1	2
2.	घी व मक्खन	3	5
3.	आटा व उसके चोकर को सम्मिलित करते हुए किन्तु मैदा, सूजी, गेहूं, फ्लेक और सैवयों को अपवर्जित करते हुए सभी प्रकार के धान, चावल व गेहूं	3	4
4.	वाटर-पम्पिंग सेट	कर मुक्त	4
5.	उड्डयन (एविएशन) स्प्रिट	12	15
6.	हाई स्पीड एवं लाइट स्पीड डीजल आइल	12½	13

उपरोक्त कर वृद्धि द्वारा एक वर्ष में 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

विद्युत् शुल्क :

121. विद्युत् शुल्क की सामान्य दरों का पुनरीक्षण अन्तिम बार 1982 में हुआ था। राजस्थान विद्युत् (शुल्क)अधिनियम, 1962 के अधीन वर्तमान में शुल्क दर की अधिकतम सीमा 6 पैसा प्रति यूनिट है। मैं इस अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि यह अनुज्ञात अधिकतम सीमा 6 पैसा प्रति यूनिट से बढ़ाकर 10 पैसा प्रति यूनिट करदी जावे। तत्पश्चात् मेरा आशय है कि औद्योगिक (खनन सहित), वाणिज्यिक, घरेलू एवं अन्य प्रकार के उपभोग, जिसमें कृषि उपभोग एवं अस्थायी कनेक्शन शामिल नहीं हैं, की विद्युत् शुल्क की वास्तविक दर को 6 पैसे से 7 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा दिया जावे। यह आशा है कि इस प्रस्ताव से पूरे एक वर्ष में 3.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।

मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क :

122. मुद्रांक शुल्क का अन्तिम सामान्य पुनरीक्षण वर्ष 1976 में हुआ था। 1977 में एक लघु संशोधन द्वारा दरों के पूर्णांकन के लिए किया गया था। 1979 में एक अन्य पुनरीक्षण किया गया था जो मुद्रांक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में वर्णित कुछ आईटम तक ही सीमित था। अब मैं द्वितीय अनुसूची में वर्णित मुद्रांक शुल्क दरों में सामान्य पुनरीक्षण प्रस्तावित करता हूं। ऐसा करते हुए मैंने दर ढांचे की तमाम दरों को अगला उच्चतर रुपये 5 में पूर्णांकन करने एवं जिन आईटम के सम्बन्ध में स्लेब सिस्टम पर वर्गीकृत शुल्क दर लगती है उनके स्लेब कम करके, इसके दर ढांचे को सरल एवं युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है। यह अनुमान किया जाता है कि इससे पूरे एक वर्ष में 6 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होगी।

कोर्ट-फीस :

123. कोर्ट फीस की दर वर्ष 1961 में निश्चित की गई

थी। वर्ष 1977 में एक पुनरीक्षण किया गया था किन्तु यह एक रुपये से कम की फीस को एक रुपये में पूर्णांकन करने एवं एक रुपये से अधिक फीस को निकटतम उच्चतर पूर्ण रुपये में बदलने तक ही सीमित था। यद्यपि न्यायालयों के माध्यम से की जाने वाली सेवा की लागत गत् 25 वर्षों से काफी बढ़ गयी है किन्तु निश्चित कोर्ट फीस इस अर्से में ज्यों की त्यों रही है। अतः मैं राजस्थान कोर्ट फीस एवं सूट्स वेल्युएशन एक्ट, 1961 की द्वितीय अनुसूची द्वारा निश्चित कोर्ट फीस के पूर्णरूपेण पुनरीक्षण का प्रस्ताव करता हूँ। इससे पूरे वर्ष में 2.50 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

124. अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण उपायों की, जो करों के अधिक अच्छे नियमन के लिए आवश्यक हैं, घोषणा करूंगा। ऐसे उपायों को मैं वित्त विधेयक, 1987 में, अतिरिक्त संसाधनों, सुविधाओं एवं राहत प्रस्तावों के साथ, जिनके विधायी परिवर्तन आवश्यक हैं, सम्मिलित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

125. वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग को कर निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान विघटित भागीदारी फर्म के कर निर्धारण करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित संशोधन कर-निर्धारण अधिकारी को ऐसे विघटित फर्म आदि के कर निर्धारण में उनके विघटन के पश्चात् भी, कर निर्धारण करने में सक्षम करेगी।

126. वर्तमान में कर आदि जमा कराने में विफल रहने पर व्यवहारी प्रथम तीन माह के लिए 1½ प्रतिशत तथा उसके पश्चात् की अवधि के लिए 1½ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लगाये जाने का प्रावधान है। मैं सभी अवधि के विलम्ब के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की ब्याज दर प्रस्तावित करता हूं क्योंकि यह दर बाज़ार

की दर के लगभग बराबर होने से व्यवहारी कर भुगतान में विलम्ब करने से निरुत्साहित होंगे ।

127. वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की मयाद 180 दिन है। मैं इसे 365 दिन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि कर विवादों पर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जा सके ।

128. कर की मांग जमा नहीं कराना चालू रहने वाला अपराध (कन्टीन्युइंग आफेन्स) है अथवा नहीं इस बारे में न्यायालयों के अलग-अलग निर्णय हैं। इस सम्बन्धी संदेहों को दूर करने के लिए मैं सम्बन्धित उपबन्धों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन प्रस्तावित करता हूँ । इससे अनावश्यक वादकरण घटेगा तथा सरकार भी कर की पुरानी मांगों को अधिक प्रभावशाली ढंग से वसूल कर सकेगी ।

129. वर्तमान में राज्य सरकार व्यवहारियों द्वारा व्यक्तिगत माल की आड़ में आयात किये जाने वाले माल पर कर-राजस्व से वंचित रहती है, इस समस्या के निराकरण के लिए संबंधित उपबन्धों में संशोधन प्रस्तावित हैं जिससे कि करापवंचन रुके व कर राजस्व बढ़े ।

रियायतें एवं राहत :

130. अब मैं निम्न रियायतें एवं राहत प्रस्तावित करता हूँ :

विक्रय कर :

131. वर्तमान में विवरणी (रिटर्न) समय पर प्रस्तुत नहीं करने की दशा में 10 रुपया प्रतिदिन के विलम्ब के आधार पर सभी प्रकार के व्यवहारियों पर चाहे वह छोटा हो या बड़ा शास्ति लगाने का प्रावधान है । छोटे व्यवहारियों को राहत देने के दृष्टिकोण से उपरोक्त शास्ति नीची दर 5 रुपया प्रतिदिन के विलम्ब पर किये जाने का प्रस्ताव है।

132. वर्तमान में कर निर्धारण की अवधि की सीमा 5 वर्ष है। इस कारण व्यवहारियों को व्यापार पुस्तकें एवं अभिलेख 5 वर्ष तक के सुरक्षित रखने पड़ते हैं । उनको कुछ राहत देने के दृष्टिकोण से मैं कर-निर्धारण की अवधि को 4 वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं । शायद भविष्य में अनुभव के आधार पर इस अवधि को और भी कम करना सम्भव हो सकेगा ।

133. विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार किसी व्यवहारी की दुकान पर बिना लेखा-जोखा किये हुये पाया गया कर योग्य माल शास्ति आरोपण से पूर्व अभिग्रहित किया जाना नितान्त आवश्यक है । इसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित है कि सम्बन्धित प्रावधानों में माल के अभिग्रहण को स्वैच्छिक (डिस्क्रेशनरी) बना दिया जावे ।

134. आपको स्मरण होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने राज्य के गुड्स ट्रान्सपोर्टर्स को विक्रय कर अधिनियम के अधीन वाणिज्य कर विभाग में रजिस्ट्रीकरण से छूट देने के सम्बन्ध में विचार करने का आश्वासन दिया था । उसकी पूर्ति में अब राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करता हूँ ।

135. वर्तमान में अधिक जमा टैक्स के रिफण्ड पर ब्याज दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है । इसको भी दुगना कर 24 प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि टैक्स एवं अन्य देय राशि के देरा से भुगतान पर भी ब्याज इस दर से लेना प्रस्तावित है ।

136. अन्य राज्यों की तुलना में कुछ पदार्थों पर हमारे राज्य की कर दर अधिक होने के कारण ऐसे माल का व्यापार

अन्य राज्यों को नहीं चला जावे व करापवंचन न हो इसे रोकने के दृष्टिकोण से निम्न माल की राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की कर दरें वर्तमान दरों से कम किये जाने का प्रस्ताव है :

क्रम सं.	माल पदार्थ	वर्तमान दर (प्रतिशत)	प्रस्तावित दर (प्रतिशत)
1.	सब प्रकार का गोटा, गोटा किनारी, सलमा, सितारा व बादला		
	(क) सोना, चांदी अथवा स्टेनलेस स्टील से बने हुए	5	3
	(ख) उपरोक्त (क) में नहीं आने वाले	3	
2.	चांदी एवं सोने के वर्क	5	3
3.	(क) सोने के जेवर	5	2
	(ख) सोने की ज्वेलरी	10	
4.	पाइल कारपेट	12	8
5.	डीजल कारें	10	6
6.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	10	4½
7.	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सेट	15	8
8.	एक्सरे मशीन	12	8
9.	जाब वर्क पर कपड़े की रंगाई व छपाई करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोगार्थ लिए जाने वाले रंग, रंजक एवं रसायन पर	8	4

137. निम्न माल पर राज्य में कर पूर्णतया माफ करने का प्रस्ताव है :

1. चूजे (चिक्स)
2. तकिये के गिलाफ
3. चिमनी, लालटेन व उनके कांच के गोले
4. इन्स्ट्रूमेन्ट्स बाक्स, रबर, फूटरूलर्स

138. राज्य के उद्योगों के उत्पादों को अन्य राज्यों की स्पर्धा में अन्तर-राज्यिक व्यापार में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुछ उद्योगों के निम्न उत्पादों पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर कम करने का प्रस्ताव है :

क्रम सं.	माल का नाम	वर्तमान दर (प्रतिशत)	प्रस्तावित दर (प्रतिशत)
1.	होजरी एवं सिले हुए वस्त्र	4	2
2.	छतरियां और उनके अतिरिक्त पुर्जे एवं उपसाधन	4	1
3.	साईकिल के अतिरिक्त पुर्जे एवं उपसाधन	4	1
4.	पौलिस्टर फिलामेन्ट यार्न एवं नायलोन फिलामेन्ट यार्न	3	1½
5.	जूतियां	4	2

केन्द्रीय विक्रय कर के अधीन यह राहत प्रारम्भ में केवल एक वर्ष के लिए है तत्पश्चात् राजस्व पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाकर आगे अवधि वृद्धि पर विचार किया जायगा।

139. राज्य में पूरी दर पर कर चुके हुए किराने के सामान जैसे कि हल्दी असालिया–काठोडी, सिंघाड़ा, काला जीरा एवं अमचूर को केन्द्रीय बिक्री कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है।

140. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 गग के अधीन रियायती कर दर पर कच्चा माल खरीदने की जो सुविधा नये यूनिट को प्राप्त है वह सुविधा ऐसे यूनिट के स्वामित्व के परिवर्तन के बावजूद भी मिलती रहनी चाहिए ऐसी उद्योग की मांग रही है। यह सुविधा भविष्यलक्षी प्रभाव से दिया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत् शुल्क :

141. काफी अर्से से उद्योग की यह मांग रही है कि स्व-उत्पादित विद्युत् ऊर्जा के उपभोग पर शुल्क समाप्त किया जावे। इससे राज्य में ऊर्जा की कमी को देखते हुए उद्योगों को ऊर्जा का स्व-उत्पादन करने को प्रोत्साहन मिलेगा एवं इससे विद्युत् की मांग एवं पूर्ति के बीच जो अन्तर है उसे कम करने में भी कुछ हद तक सहायता मिलेगी। अतः मैं राज्य में स्व-उत्पादन कर उपभोग में ली गई विद्युत् ऊर्जा को विद्युत् शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे एक वर्ष में 1.30 करोड़ रुपये की राजस्व आय में कमी होगी।

142. उपरोक्त कर प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अधिनियमों में कुछ वैधानिक संशोधन करने होंगे जिसके लिए इस भाषण के तुरन्त बाद आपके समक्ष राजस्थान वित्त विधेयक, 1987 प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

143. उपरोक्त उपायों से कुल 40.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्तियां अनुमानित हैं। प्रस्तावित रियायतों से सम्बन्धित राजस्व में कमी का समायोजन करने पर कुल अतिरिक्त आय 39.00 करोड़ रुपये होगी। यह सब ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 के अन्त में 116.62 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। फिलहाल मैं इस घाटे को अपूरित छोड़ना प्रस्तावित करता हूँ। यद्यपि मैं आशा करता हूँ कि यह घाटा कुछ हद तक उपरोक्त वर्ष में राज्य की बकाया की एवं करों की बेहतर वसूली, केन्द्रीय करों से अधिक प्राप्तियां, गैर जरूरी व अनुत्पादक खर्चों में कमी आदि से पूरा करने का प्रयत्न किया जायगा।

144. मैं सभी माननीय सदस्यों को पुनः यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यद्यपि अनेक कठिनाइयां और समस्याएं हमारे सामने हैं किन्तु हमारा यह संकल्प भी दृढ़ है कि हमें अपने इस प्रदेश को हमारे निष्ठावान प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में उनके मार्ग दर्शन के अनुसार प्रगति एवं समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाना है। आज देश के विकास एवं एकता को देशी व विदेशी ताकतों की बहुत सी चुनौतियां हैं। इस महान् देश के हर नागरिक को इन चुनौतियों का सामना करने में अपना सहयोग देना है। हमारी विकास योजनाओं को सफलता के लिए हम सभी को सतत् प्रयत्नशील होना है व निजी संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर इस प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। मैं आप सबको इस महत् कार्य में सहयोग देने का आह्वान करता हूं।

145. इन्हीं भावनाओं के साथ, मैं राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य व समृद्धि की कामना करते हुए वर्ष 1987-88 के बजट अनुमान सदन में विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

जयहिन्द